(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 234 नई दिल्ली 27 नवबंर, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा विशाखापट्टनम पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/43/2005 - वीपीटी

आदेश

(अक्तूबर, 2009 के 23 वें दिन पारित)

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के वर्तमान प्रचलित दरमान को इस प्राधिकरण ने दिनांक 11 मई 2006 को पिछलीबार दिनांक 11 मई 2006 के आदेश संख्या टीएएमपी/43/2005-वीपीटी के द्वारा अनुमोदित किया था।ें। आदेश के साथ दरमान को भी भारत का राजपत्र में 5 जून 2006 को राजपत्र संख्या 96 के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अनुमोदित दरमान की वैधता 31 मार्च 2009 तक निर्धारित की गई।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 17 जून 2009 के आदेश के द्वारा वीपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 30 सितंबर 2009 तक विस्तारित किया था। यह आदेश 20 जून 2009 को भारत का राजपत्र में राजपत्र संख्या 108 के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

3. वीपीटी ने दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल कर दिया है जो संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ताओं के संगठनों के साथ विचार-विमर्श के लिए रखा गया है। प्रस्ताव को आंतरिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 12 सितंबर 2009 के द्वारा 31 दिसंबर 2009 तक प्रचलित दरमान की वैधता को विस्तारित करने के लिए अनुरोध किया है या दाखिल प्रस्ताव के अंतिम रूप से निपटाने तक, इसमे से जो भी पहले हों।

5. चूँकि प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितंबर 2009 को समाप्त होती है, यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता को 31 मार्च 2010 तक या दरमान के संशोधन हेतु वीपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव को अंतिमरुप से निपटाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. यदि 1 अप्रैल 2009 के बाद वाली अवधि मे लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किये जानेवाले प्रशुल्क मे पूरी तरह समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा